



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-569

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 312034 दिनांक 05/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Kamla Davi Meena W/o Laddu Lal Meena	श्री सुरेश शर्मा पुत्र श्री जी.एल. शर्मा	11	248.88 SQ. YARD	Private	SHIV SAGAR Sector/Block-C	Name Transfer	आवेदिका श्रीमती कमला देवी मीना पत्नी श्री लड्डू लाल द्वारा निजी खातेदारी की योजना शिव सागर के भूखण्ड संख्या सी-11 क्षेत्रफल 248.88 व.ग. के नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड संख्या सी-11 क्षेत्रफल 248.88 व.ग. की लीजडीड दिनांक 30.12.2010 को श्री सुरेश शर्मा पुत्र श्री जी.एल. शर्मा के पक्ष में जारी की गई है। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या सी-11 क्षेत्रफल 248.88 व.ग. को श्री सुरेश शर्मा पुत्र श्री जी.एल. शर्मा द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.09.2014 को



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

श्री अमित
खण्डेलवाल पुत्र श्री
नाथूलाल
खण्डेलवाल को
बेचान किया गया।
तत्पश्चात उक्त
भूखण्ड संख्या
सी-11 क्षेत्रफल
248.88 व.ग. को
श्री अमित
खण्डेलवाल पुत्र श्री
नाथूलाल
खण्डेलवाल द्वारा
जरिये पंजीकृत
विक्रय पत्र दिनांक
22.09.17 को
श्रीमती कमला
देवी मीना पत्नी
श्री लड्डू लाल को
बेचान किया गया।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपति online सबमिट करें, अन्यथा आपति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Kamla Davi Meena W/o Laddu Lal Meena को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |